



राजस्थान सूचना आयोग

ओ.टी.एस. केम्पस के पास, झालाना लिंक रोड, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
जयपुर-302017, फोन 0141-2719136

क्रमांक-पं.6()रा.सू.आ./डेलीगेशन पॉवर/2015/ 3402

दिनांक- 2-2-15

संशोधित आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक RIC/59510-16 दिनांक 31.10.2014 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए निम्नांकित आदेश जारी किये जाते हैं:-

- 1 द्वितीय अपीलों का पंजीयन पूर्ववत् सूचना आयुक्त के अनुमोदन पश्चात् किया जायेगा।
- 2 समस्त परिवारों की सुनवाई सूचना आयुक्त करेंगे।
- 3 जोधपुर (उच्च न्यायालय को छोड़कर), बीकानेर, उदयपुर संभागों के लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध द्वितीय अपीलों की सुनवाई दिनांक 1.1.2015 से सूचना आयुक्त कर रहे हैं। दिनांक 2.2.2015 से उक्त संभागों के अतिरिक्त अजमेर संभाग से सम्बन्धित द्वितीय अपीलों की सुनवाई भी करेंगे।
- 4 प्रकरणों की सुनवाई कोर्ट नं. 2 में सूचना आयुक्त द्वारा पूर्ववत् की जायेगी।
- 5 अवशेष संभागों एवम् उच्च न्यायालय से सम्बन्धित द्वितीय अपीलों की सुनवाई मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा कोर्ट नं. 1 में पूर्ववत् की जायेगी।

sdl -
(टी. श्रीनिवासन)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग
- 2 निजी सचिव, सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग
- 3 सचिव, राजस्थान सूचना आयोग
- 4 उपसचिव प्रथम, राजस्थान सूचना आयोग
- 5 रजिस्ट्रार, राजस्थान सूचना आयोग
- 6 कन्सल्टेण्ट, राजस्थान सूचना आयोग
- 7 श्री एन.पी. छंगाणी, प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान सूचना आयोग
- 8 श्री सुरेश कुमार जांगिड, सहायक प्रोग्रामर, आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 9 केयर-टेकर, आयोग के सूचना पट्ट पर लगाने हेतु
- 10 अपील शाखा
- 11 परिवार शाखा
- 12 निजी पत्रावली
- 13 गार्ड पत्रावली

सचिव